Letter No.- NGT-413 /81-7-2022

From,

Om Prakash,
Under Secretary,
Environment, Forest and Climate Change,
Government of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Environment, Forest and Climate Change , Section-7 **Lucknow : Dated : 28 October, 2022**

Sub:- Action Taken Report on behalf of State of Uttar Pradesh in compliance of the order dated 16-03-2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal , New Delhi in Original Application No. 242/2021 (I.A. No. 61/2022) Satish Govind Versus President and Secretary, Windsor Park Residents Welfare Association & Anr.

Sir,

In compliance of order dated 16-03-2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 242/2021 (I.A. No. 61/2022) Satish Govind Versus President and Secretary, Windsor Park Residents Welfare Association & Anr, Action Taken Report on behalf of State of Uttar Pradesh is being annexed herewith.

It is requested that the said report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl:- As above.

Your Sincerely,

(Om Prakash)
Under Secretary.

COMPLIANCE REPORT of JOINT COMMITTEE
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 242/2021
(I.A. No. 61/2022)

IN THE MATTER OF:

Original Application No. 242/2021(I.A. No. 61/2022)

Satish Govind

Versus

President and Secretary,
Windsor Park Residents Welfare Association & Anr.

1.0 BACKGROUND

The Hon'ble NGT in the above said matter vide order dated16.03.2022 directed as follows:

" ...5. We further find that the violations found in the present case are not limited to the present housing complex nor to Ghaziabad but other housing complexes in Ghaziabad and also in other cities in the State which may call for a State wide policy and monitoring mechanism toremedy the situation after discussion of the matter at the level of State level authorities in UP in the light of mandate of law and earlier directions of this Tribunal. There is need to monitor

operation of DG sets in Residential Societies and Commercial complexes with reference to use being of "Type Approved (TA)" category, cleaner fuel, acoustic control system with required stack height and being compliant with Regulations on the subject. There is also need for mechanism for creating awareness about need for compliance and also for guidance for compliance.

6. Accordingly, we direct a joint Committee of Additional Chief Secretary, Urban Development and Additional Chief Secretary, Environment and Forest with any other stake holders including District Magistrates of the Districts where problem may be perceived to be more serious to have an interaction on the subject to consider the remedial measures for control of air and noise pollution caused by the DG sets in the light of earlier order of this Tribunal dated 18.10.2021, quoted above within one month. The Additional Chief Secretary, Environment and Forest will be the nodal agency for convening the meeting and taking follow up action."

2.0 COMPLIANCE TO HON'BLE NGT DIRECTIONS

(a) In compliance to directions of Hon'ble National Green Tribunal the Joint Committee comprising of Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Housing and Urban Planning, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, Director, Electrical Safety,

Uttar Pradesh, Representative of Central Pollution Control Board, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Representative of District Magistrate, Ghaziabad and Lucknow, has been constituted vide Office Memorandum no. NGT-207/81-07-2022 Dated 03-06-2022. Copy of the OM dated 03-06-2022 is annexed herewith and marked as **Annexure No.-1**.

(b) The first meeting of Joint Committee was held on 04-07-2022 to deliberate upon the scope of work of the Committee as per Hon'ble NGT order dated 16-03-2022 as under;

i. Enforcement of CPCB guidelines regarding Air and Noise pollution from DG Sets across the State including compliance of directions issued by Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas for NCR districts of Uttar Pradesh.

ii. To review the need for State wide policy to remedy the situation arising out of Air and Noise pollution due to operation of DG Sets.

iii. To discuss upon the Monitoring Mechanism for monitoring of the operation of DG sets in Residential Societies and Commercial complexes with reference to use being of "Type Approved (TA)" category, cleaner fuel, acoustic control system with required stack height and being compliant with Regulations on the subject.

(c) The Committee opined that appropriate regulations are already in existence for control of Air and Noise pollution

due to operation of DG Sets, but implementation of these regulations need to be further strengthened by appropriate monitoring mechanism. The Committee resolved to seek the opinion of the concerned Departments on record of discussions held in the meeting. The letter of the Government to seek opinion of the concerned Departments on the discussions held in the meeting of the Committee is enclosed herewith and marked as **Annexure No-2**.

(d)The second meeting of the committee was held on14-09-2022. In continuation to the proceedings of 1st meeting, and after receiving comments of the concerned Departments on the discussions of 1st Meeting of the Committee held on 04-07-2022, the Joint Committee has finalised its recommendations and submitted the same to the Government. The minutes of the second meeting of Committee dated 14-09-2022 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-3.**

(e) The Government of Uttar Pradesh, after duly considering the report of the Committee has issued the Government Order from the level of The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh for regulating the operation of DG Sets throughout the State. A detailed Government order regarding formulation of monitoring and strengthening of enforcement mechanism for regulation of Air and Noise pollution from DG sets in the State along with clearly defined responsibilities has been issued vide G. O. No. NGT-341/81-7-2022 dated 26-09-2022 and have been

circulated to all District Magistrates, Commissioners and to the Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries of the concerned departments for compliance. The copy of the G. O. Dated 26-09-2022 is enclosed herewith as **Annexure No.-4.**

(f) That the salient features of the G. O. Dated 26-09-2022 are briefed below-

i. In order to ensure effective compliance of the prevailing rules/guidelines/instructions, for enforcement at the district level, separate 02 Task Forces have been constituted in each districts for industrial and residential/commercial areas separately as given below:-

A. Task Force for Industrial Sectors:-

Officer nominated by the District Magistrate not below the rank of the Deputy Collector	Chairperson
General Manager, District Industries Centre or Representative nominated by him	Member
Representative nominated by the Chief Executive Officer of the industrial area viz. Noida/Greater Noida/Yamuna Expressway Authority/GIDA/SIDA/BIDA/ UPSIDA etc.	Member
Representative nominated by Director, Directorate of Electrical Safety, U.P.	Member
Executive Engineer, Electricity Distribution Division or Representative nominated by him	Member
Regional Officer, U.P. Pollution Control Board or Representative nominated by him	Member

B. **Task Force for Commercial Projects/ Residential Areas:-**

Officer nominated by the District Magistrate not below the rank of the Deputy Collector	Chairperson
Representative nominated by the Vice President/Chief Executive Officer, Development/Industrial Development Authority	Member
Representative nominated by Municipal Commissioner/Executive Officer of ULB	Member
Representative nominated by Director, Directorate of Electrical Safety, U.P.	Member
Executive Engineer, Electricity Distribution Division or representative nominated by him	Member
Regional Officer, U.P. Pollution Control Board or Representative nominated by him	Member

Functions and Responsibilities of Task Forces :-

- District wise inventory of DG sets will be prepared by the designated representative of Directorate of Electrical Safety and random verification will be done by the Task Force for the sample based upon this inventory.
- Enforcement action will be taken to ensure compliance of all prevailing Rules/Acts, Guidelines and instructions related to DG sets by conducting random checking of DG sets located under its jurisdiction from time to time.
- Secretarial work related to task force meeting / inspection / survey and enforcement shall be carried out by the

nominated member of the Directorate of Electricity Safety in the Committee.

ii. No Objection Certificates are issued by the Electrical Safety Directorate for the operation of DG sets across the State, hence, the Electrical Safety Directorate shall prepare district wise inventory of DG sets of different electrical load categories and make them available to the inter-departmental task force for enforcement. Further, before issuing No Objection Certificate to any unit/entity for installation DG Sets, Electrical Safety Directorate shall also ensure that CTE/CTO from Uttar Pradesh Pollution Control Board has been obtained and the necessary arrangements will be made for this purpose in the Single Window Nivesh Mitra Portal also.

iii. Development Authorities/Industrial Development Authorities shall ensure necessary amendments in by-laws regarding earmarking of suitable place for installation of DG sets in building map. For this purposes Uttar Pradesh Pollution Control Board shall provide standards regarding DG Sets with respect to distance from building, Capacity, Stack Height, standards of emission and noise etc. to Housing and Urban Planning Department.

iv. Monitoring may be done through the already constituted Three Tier Monitoring Mechanism established in the State vide Environment, Forest and Climate Change Section-7, Government of Uttar Pradesh's Office Memorandum No.

13/2019/NGT- 260/55-Parya-2-2019-44 (Writ)/2016 dated 14th June, 2019. As per the monitoring mechanism the action taken by the task forces will be monitored every month by the District Environment Committee constituted under the Chairmanship of the District Magistrate/and the monthly review conducted under the Chairmanship of Divisional Commissioner. At the State Level, it shall be monitored by Air Quality Monitoring Committee (AQMC). Department of Environment, Forest and Climate Change shall submit monitoring report to Chief Secretary from time to time for review and necessary directions.

v. District Magistrates have also been directed to conduct comprehensive awareness programme for ensuring compliance of emission standards and guidelines/directions regarding retrofitting of DG Sets.

The above compliance report is being submitted for kind perusal and consideration.

(Om Prakash)
Under Secretary

Annexure-1

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–एन.जी.टी.–207/81–7–2022
लखनऊ : दिनांक : 03 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 242/2021 (I.A. No. 61/2022) Satish Govind Vs President and Secretary, Windsor Park Residents Welfare Association & Anr में पारित आदेश दिनांक 16.03.2022 के बिन्दु संख्या–6 एवं 7 पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

6. Accordingly, we direct a joint Committee of Additional Chief Secretary, Urban Development and Additional Chief Secretary, Environment and Forest with any other stake holders including District Magistrates of the Districts where problem may be perceived to be more serious to have an interaction on the subject to consider the remedial measures for control of air and noise pollution caused by the DG sets in the light of earlier order of this Tribunal dated 18.10.2021, quoted above within one month. The Additional Chief Secretary, Environment and 21 Forest will be the nodal agency for convening the meeting and taking follow up action.

7. Action taken report may be filed within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 13.07.2022.

2– अतः मा0 अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 16.03.2022 द्वारा डी0जी0 सेटों के कारण वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिये संयुक्त समिति द्वारा उपचारात्मक उपायों पर विचार किये जाने हेतु निम्नानुसार संयुक्त समिति एतद्द्वारा गठित की जाती है :–

1–	अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन	–नोडल एजेन्सी
2–	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3–	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4–	निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, विभूति खण्ड, लखनऊ।	सदस्य
5–	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
6–	सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नित्रंण बोर्ड, लखनऊ।	सदस्य
7–	जिलाधिकारी, गाजियाबाद एवं लखनऊ द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर से अनिम्न स्तर अधिकारी।	सदस्य

3– उक्त समिति के कार्य/दायित्व निम्नवत् होंगे :–

1– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइडलाईन का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु एक एक्शन प्लान तैयार कराने की कार्यवाही की जायेगी।

2— रेजिडेंशियल सोसायटी एवं कामर्शियल कॉम्प्लेक्स में "Type Approved (TA)", क्लीनगर फ्यूल, एकास्टिक कंट्रोल सिस्टम एवं वांछित ऊँचाई की चिमनी आदि की मॉनिटरिंग हेतु मैकेनिज्म तैयार किया जाना।

3— उक्त गाइडलाईन/एक्शन प्लान के अनुपालन हेतु संबंधित स्टेकहोल्डर्स को जागरूक/मार्गदर्शन हेतु मैकेनिज्म तैयार किया जाना।

4— समिति की बैठकें, एक्शन प्लान तैयार करने की कार्यवाही एवं अन्य सचिवालयीन कार्य नोडल एजेन्सी द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से कराये जायेंगे।

Signed by मनोज सिंह
Date: 02-06-2022 16:57:28
Reason: Approved
(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— अपर मुख्य सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2— निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3— अध्यक्ष/सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त समिति हेतु सदस्य तत्काल नामित करते कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
4— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5— जिलाधिकारी, गाजियाबाद एवं लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त समिति हेतु अपने—अपने जनपद से अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को तत्काल नामित कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Annexure-2

संख्या–NGT-353/81–7–2022

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,**
नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2– **निदेशक,**
विद्युत सुरक्षा निदेशालय,
लखनऊ।

3– **सदस्य सचिव,**
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
दिल्ली।

4– **सदस्य सचिव,**
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

5– **जिलाधिकारी,**
गाजियाबाद/लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु–7 **लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2022**

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा *Original Application No. 242/2021 (I.A. No. 61/2022) Satish Govind Vs President and Secretary, Windsor Park Residents Welfare Association & Anr* में पारित आदेश दिनांक 16.03.2022 के संदर्भ में गठित समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–एन0जी0टी0–250/81–7–2022, दिनांक 28.06.2022 के अनुक्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा *Original Application No. 242/2021 (I.A. No. 61/2022) Satish Govind Vs President and Secretary, Windsor Park Residents Welfare Association & Anr* में पारित आदेश दिनांक 16.03.2022 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–एन0जी0टी0–207/81–7–2022, दिनांक 03.06.2022 द्वारा गठित संयुक्त समिति की दिनांक 04.07.2022 को अपरान्ह 12:30 बजे से सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के स्तर पर उनके कार्यालय कक्ष में हुई बैठक का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या–एन0जी0टी0–348/81–7–2022, दिनांक 09.09.2022 का भी कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.06.2022 द्वारा गठित **संयुक्त समिति की बैठक दिनांक 14.09.2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे** से अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के बापू भवन 5वां तल स्थित कार्यालय कक्ष संख्या–524 में आयोजित होने के संबंध में सूचित किया गया है।

3– विषयगत प्रकरण में दिनांक 04.07.2022 को सम्पन्न हुई बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त स्थिर किये गये मत एवं अन्य बिन्दुओं को सम्मिलित कर तैयार किये गये प्रस्तावित कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न प्रस्तावित कार्यवृत्त पर अपना–अपना सुझाव/अभिमत दिनांक 14.09.2022 को आहूत उक्त बैठक में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक, यथोक्त।

भवदीय,
(ओम प्रकाश)
अनु सचिव।

Annexure-3

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन *Original Application No. 242/2021(I.A. No. 61/2022) Satish Govind Versus President and Secretary, Windsor Park Residents Welfare Association & Anr* में पारित आदेश दिनांक 16. 03.2022 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–एनजीटी–207 / 81–7–2022, दिनांक 03.06.2022 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 14.09.2022 का कार्यवृत्त।</u>

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन *Original Application No. 242/2021(I.A. No. 61/2022) Satish Govind Versus President and Secretary, Windsor Park Residents Welfare Association & Anr* में पारित आदेश दिनांक 16. 03.2022 का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

" 6. Accordingly, we direct a joint Committee of Additional Chief Secretary, Urban Development and Additional Chief Secretary, Environment and Forest with any other stake holders including District Magistrates of the Districts where problem may be perceived to be more serious to have an interaction on the subject to consider the remedial measures for control of air and noise pollution caused by the DG sets in the light of earlier order of this Tribunal dated 18.10.2021, quoted above within one month. The Additional Chief Secretary, Environment and Forest will be the nodal agency for convening the meeting and taking follow up action."

डीजी सेट्स के कारण वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपचारात्मक उपायों पर विचार किये जाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–एनजीटी–207 / 81–7–2022, दिनांक 03.06.2022 द्वारा एक समिति गठित की गयी है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.06.2022 द्वारा गठित समिति की पूर्व में दिनांक 04.07.2022 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में स्थिर किये गये मत एवं अन्य बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित कार्यवृत्त की प्रति संबंधित को प्रेषित करते हुए उस पर उनका सुझाव / अभिमत मांगा गया। उक्त समिति की बैठक पुनः दिनांक 14.09.2022 को आहूत की गयी। बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

2– सर्वप्रथम सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रकरण के संबंध में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। डी0जी0 सेट्स से जनित वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु वर्तमान में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम), 1981 यथासंशोधित तथा ध्वनि (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डी0जी0 सेट्स के संचालन से जनित उत्सर्जन एवं शोर की सीमा से सम्बन्धित मानक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास की वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु गठित आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में डी0जी0 सेट्स से होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निर्देश संख्या–44, 55 एवं 60 तथा केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 800 किलोवाट डी0जी0 सेट्स में *Retro-fit Emission Control Devices (RECD)* हेतु बनायी गयी गाइडलाइन लागू है। समिति द्वारा यह मत स्थिर किया गया कि डी0जी0 सेट्स के संचालन से उत्पन्न ध्वनि/वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्याप्त रेगुलेशन/विधियाँ उपलब्ध हैं, परन्तु उनके क्रियान्वयन एवं सुदृढ़ व्यवस्था निरूपित कर क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में बैठक में निम्न सुझावों पर समिति द्वारा मत स्थिर किया गया :–

1– उत्तर प्रदेश में स्थापित/संचालित डी0जी0 सेट्स की इन्वेन्ट्री कराये जाने, 24x7 में विद्युत सप्लाई सुनिश्चित कराये जाने तथा डी0जी0 सेट्स के संचालन से होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमों/गाइडलाइन्स/निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर प्रवर्तन हेतु औद्योगिक एवं आवासीय/कामर्शियल क्षेत्रों हेतु निम्नानुसार पृथक–पृथक दो अन्तर्विभागीय टास्क फोर्स का गठन कर उनके कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा :–

(अ) औद्योगिक क्षेत्रों हेतु टास्क फोर्सः–

जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी स्तर से अनिम्न स्तर का अधिकारी	अध्यक्ष
महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्रतिनिधि (नोयडा/ग्रे0 नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे अथारिटी के अतिरिक्त)	सदस्य
संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की मूल एजेन्सी यथाः नोयडा/ग्रे0नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे अथारिटी/यूपीसीडा इत्यादि के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
अधिशासी अभियंता, संबंधित विद्युत वितरण खण्ड अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

(ब) आवासीय परियोजनाओं/कामर्शियल क्षेत्रों हेतु टास्क फोर्सः–

जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी स्तर से अनिम्न स्तर का अधिकारी	अध्यक्ष
उपाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास/औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
अधिशासी अभियंता, संबंधित विद्युत वितरण खण्ड अथवा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

टास्क फोर्स के कार्य एवं दायित्वः–

- विद्युत सुरक्षा निदेशालय के नामित प्रतिनिधि द्वारा डी0जी0 सेट्स की जिलेवार इन्वेन्ट्री तैयार की जाएगी। इन इन्वेन्ट्री के आधार पर सैपल/रेण्डम चेकिंग की जायेगी।
- टास्क फोर्स द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित डी0जी0 सेट्स की समय–समय पर रेण्डम चैकिंग कर डी0जी0 सेट्स के संबंध में प्रचलित समस्त प्रकार के नियमों/अधिनियमों, गाइडलाइन एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये ज़ाने हेतु प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।
- टास्क फोर्स की बैठक/निरीक्षण/सर्वेक्षण एवं प्रवर्तन संबंधी सचिवालयीन कार्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय की ओर से समिति में नामित सदस्य द्वारा किए जाएंगे।

2– विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश भर में डीजी सेट्स के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त किए जाते हैं। अतः विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा अलग–अलग विद्युत भार वर्ग के जनरेटरों की जिलेवार *inventory* तैयार कर उसे प्रवर्तन हेतु उक्त अन्तर्विभागीय टास्क फोर्स को उपलब्ध करायी जाये।

3– उक्त टास्क फोर्स द्वारा की जाने वाली प्रवर्तन की कार्यवाहियों का प्रभावी अनुश्रवण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–13/2019/एनजीटी–260/55–पर्या–2–2019–44(रिट)/2016, दिनांक 14 जून, 2019 के माध्यम से गठित त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के माध्यम से किया जाना उचित होगा।

टास्क फोर्स द्वारा कृत कार्यवाही का अनुश्रवण प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति एवं मण्डलायुक्त के स्तर पर मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक तथा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण समिति (AQMC) के माध्यम से पूर्व से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जा सकता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उक्त AQMC के माध्यम से की गयी अनुश्रवण की कार्यवाही की रिपोर्ट समय–समय पर मुख्य सचिव स्तर पर की जाने वाली पर्यावरण सम्बन्धी बैठकों में समीक्षा हेतु प्रस्तुत कर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के भी निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं।

4— डी0जी0 सेट्स की स्थापना के स्थल को भवन मानचित्र में निर्धारित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उक्त हेतु विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने बाई—लॉज में यथा—आवश्यक संशोधन कर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि डी0जी0 सेट्स से होने वाले वायु/ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों को न्यून किया जा सके।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

संलग्नक—यथोपरि।

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—7
संख्या—N.G.T-359/81—7—2022
लखनऊ : दिनांक : 15 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/ऊर्जा/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2— निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3— सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
4— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5— जिलाधिकारी, गाजियाबाद/लखनऊ।
6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(ओम प्रकाश)
अनु सचिव।

Annexure-4

File No.81-7099/15/2022-07-,

संख्या–एन.जी.टी.–341 / 81–7–2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– **अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,**
नगर विकास / अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास /
आवास एवं शहरी नियोजन / ऊर्जा / अतिरिक्त ऊर्जा / लोक निर्माण /
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– **मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
नोएडा / ग्रेटर नोएडा / यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी / यूपीसीडा।

3– **समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

4– **सदस्य सचिव**
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

5– **निदेशक,**
विद्युत सुरक्षा निदेशालय,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 2022**

विषय–डीजल जनरेटर (डी0जी0 सेट्स) के अनियंत्रित उपयोग / संचालन के कारण जनित वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के निराकरण हेतु प्रचलित अधिनियमों / नियमों / गाइडलाइन एवं निर्देशों के प्रभावी अनुपालन हेतु टास्कफोर्स के गठन के संबंध में।

महोदय,

वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित लागू है। एनसीआर क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन अधिनियम, 2021 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग का गठन किया गया है।

2. औद्योगीकरण एवं नगरीय विस्तार के कारण औद्योगिक क्षेत्रों, व्यावसायिक परिसरों एवं आवासीय परिसरों में डीजल जनरेटर सेट्स (डी0जी0 सेट्स) का अत्याधिक प्रयोग हो रहा है। डीजल जनरेटर सेट्स (डी0जी0 सेट्स) वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं।

3. पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–सा.का.नि. 771(अ), दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 द्वारा जनरेटर सेट (जेनसेट) के लिए 800 किलोवाट तक के नए डीजल इंजन के लिए लागू उत्सर्जन सीमा तथा अधिसूचना संख्या–सा.का.नि. 281 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2016 द्वारा ड्यूल फ्यूल डीजी सेट हेतु उत्सर्जन एवं ध्वनि सीमायें निर्धारित की गयी हैं **(संलग्नक–1)**।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में डी0जी0 सेट्स के द्वारा होने वाले ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के अनुश्रवण और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र अधिनियम, 2021 के तहत

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा निर्देश संख्या–44, अपने पत्र संख्या–A-110018/01/2021-CAQM/1461-1486, दिनांक 16.11.2021, निर्देश संख्या–55, पत्र संख्या–A-110018/01/2021-CAQM/6586-6590, दिनांक 08.02.2022 तथा निर्देश संख्या–60, पत्र संख्या–A-110018/01/2021-CAQM/6820-6825, दिनांक 22.02.2022 निर्गत किये गये हैं।

डी0जी0 सेट्स के संबंध में निर्देश संख्या–44, दिनांक 16 नवम्बर, 2021 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जब भी दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणता अत्यन्त खराब श्रेणी (AQI> 300) में आती है, तब आपातकालीन उद्देश्यों को छोड़कर, डी0जी0 सेट्स के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाय और निर्देश संख्या–55 में उल्लिखित है कि *Graded Response Action Plan (GRAP) Period* जिसमें डी0जी0 सेट्स के संचालन पर प्रतिबन्ध लागू होगा, के दौरान डी0जी0 सेट्स के संचालन हेतु अनुमन्य आपातकालीन सेवाओं को चिन्हित किया गया है तथा शर्तों के अधीन कतिपय प्रयोजन हेतु डी0जी0 सेट्स के प्रतिबन्धों के साथ संचालन/सीमित अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है (**संलग्नक–2 एवं 3**)।

5. संशोधित *Graded Response Action Plan (GRAP), dated 05.08.2022* के क्रियान्वयन हेतु एक उप समिति का गठन आदेश संख्या–120017/27/GRAP/2021/CAQM/8949-8965, दिनांक 06.09. 2022 द्वारा किया गया है। मा0 आयोग के निर्देश संख्या–55, दिनांक 08.02.2022 में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रहे डीजल सेट्स के संचालन/प्रतिबन्ध के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये है। इसके अनुसार *Graded Response Action Plan (GRAP) Period* जिसमें डी0जी0 सेट्स के संचालन पर प्रतिबन्ध ा लागू होगा, के दौरान डी0जी0 सेट्स के संचालन हेतु अनुमन्य आपातकालीन सेवाओं को चिन्हित किया गया है तथा शर्तों के अधीन कतिपय प्रयोजन हेतु डी0जी0 सेट्स के प्रतिबन्धों के साथ संचालन/सीमित अवधि हेतु संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है।

6. निर्देश संख्या–60, दिनांक 22.02.2022 में डी0जी0 सेट्स के उपयोग को कम किये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा निर्देश संख्या–60 (**संलग्नक–4**) के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों हेतु कार्यरत विद्युत प्रदाता कम्पनियों *(DISCOMS)* को निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये गये हैं :–

(1) बिजली की मांग का व्यापक रूप से आंकलन करें तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपायों और योजनाओं को प्रारम्भ करें;

तथा

(2) एनसीआर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें, विशेष रूप से अक्टूबर–फरवरी के मध्य की अवधि के लिए, जब क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रायः खराब/बहुत खराब/गंभीर श्रेणी में रहता है।

7. डी0जी0 सेट्स के प्रयोग से जनित पी0एम0 के उत्सर्जन मात्रा को कम किये जाने के संबंध में ओ0ए0 संख्या–681/2018 में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 06.08.2019 के अनुपालन में नोडल एजेन्सी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 800 किलोवाट तक की ग्रॉस मैकेनिकल पॉवर तक के डी0जी0 सेट्स के लिए "System & Procedure for Testing of Retrofit Emission Control Devicess" तैयार किया है और इसे अपने पत्र दिनांक 01.02.2022 के साथ परिचालित किया है (**संलग्नक–5**)।

8. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–242/2021 (आई0ए0 सं0–61/2022) सतीश गोविन्द बनाम प्रेसिडेन्ट एवं सेक्रेटरी, विन्डसर पार्क रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसियेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2022 के माध्यम से डी0जी0 सेट्स के कारण जनित वायु/ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपचारात्मक उपायों को लागू कराये जाने हेतु राज्य स्तर पर नीति निर्धारण कर कार्यवाही किये जाने तथा उसके क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु तंत्र विकसित किए जाने हेतु निर्देश दिये गए हैं।

उक्त आदेश दिनांक 16.03.2022 का सुसंगत अंश निम्नवत् है :

"......5. We further find that the violations found in the present case are not limited to the present housing complex nor to Ghaziabad but other housing complexes in Ghaziabad and also in other cities in the State which may call for a State wide policy and monitoring mechanism to remedy the situation after discussion of the matter at the level of State level

authorities in UP in the light of mandate of law and earlier directions of this Tribunal. There is need to monitor operation of DG sets in Residential Societies and Commercial complexes with reference to use being of "Type Approved (TA)" category, cleaner fuel, acoustic control system with required stack height and being compliant with Regulations on the subject. There is also need for mechanism for creating awareness about need for compliance and also for guidance for compliance.

6. Accordingly, we direct a joint Committee of Additional Chief Secretary, Urban Development and Additional Chief Secretary, Environment and Forest with any other stake holders including District Magistrates of the Districts where problem may be perceived to be more serious to have an interaction on the subject to consider the remedial measures for control of air and noise pollution caused by the DG sets in the light of earlier order of this Tribunal dated 18.10.2021, quoted above within one month. The Additional Chief Secretary, Environment and 21 Forest will be the nodal agency for convening the meeting and taking follow up action.

7. Action taken report may be filed within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

9. उक्त के अनुपालन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु–7, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–एनजीटी–207/81–7–2022, दिनांक 03.06.2022 द्वारा डी0जी0 सेट्स के कारण जनित वायु/ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपचारात्मक उपायों एवं नीति निर्धारण हेतु समिति का गठन किया गया है। उपरोक्त समिति की दिनांक 14.09.2022 को हुई बैठक में समिति द्वारा इस हेतु कतिपय सुझाव दिये गये।

10. अतः उपरोक्त समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिलों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रभावी प्रवर्तन हेतु एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आच्छादित जनपदों यथाः गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर एवं शामली में उपरोक्त अधिनियमों/नियमों/गाइडलाइन के साथ–साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास की वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु गठित आयोग द्वारा डी0जी0 सेट्स की स्थापना एवं संचालन हेतु निर्गत निर्देश संख्या–44, 55 एवं 60 के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक तथा आवासीय/कामर्शियल क्षेत्रों के लिए पृथक–पृथक निम्नानुसार टास्क फोर्स का गठन किया जाता हैः

(अ) औद्योगिक क्षेत्रों हेतु टास्क फोर्सः

जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी स्तर से अनिम्न स्तर का अधिकारी	अध्यक्ष
महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण यथाः नोयडा, ग्रे0नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे अथारिटी, गीडा, सीडा, बीडा, यूपीसीडा इत्यादि के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
अधिशासी अभियंता, संबंधित विद्युत वितरण खण्ड अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस-

	य

(ब) आवासीय परियोजनाओं / कामर्शियल क्षेत्रों हेतु टास्क फोर्स:

जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी स्तर से अनिम्न स्तर का अधिकारी	अध्यक्ष
उपाध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास / औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
संबंधित नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
अधिशासी अभियंता, संबंधित विद्युत वितरण खण्ड अथवा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

<u>**टास्कफोर्स के कार्य एवं दायित्व:**</u>

- विद्युत सुरक्षा निदेशालय के नामित प्रतिनिधि द्वारा डी0जी0 सेट्स की जिलेवार इन्वेन्ट्री तैयार की जाएगी। इन इन्वेन्ट्री के आधार पर सैपल / रैण्डम चेकिंग की जायेगी।
- टास्क फोर्स द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित डी0जी0 सेट्स की समय≤ पर रेण्डम चैकिंग कर डी0जी0 सेट्स के संबंध में प्रचलित समस्त प्रकार के अधिनियमों / नियमों / गाइडलाइन एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।
- टास्क फोर्स की बैठक / निरीक्षण / सर्वेक्षण एवं प्रवर्तन संबंधी सचिवालयीन कार्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय की ओर से समिति में नामित सदस्य द्वारा किए जाएंगे।

11. विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश भर में डीजी सेट्स के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। उपरोक्तानुसार गठित टास्कफोर्स की सुगमता हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा अलग–अलग विद्युत भार वर्ग के जनरेटरों की जिलेवार *inventory* तैयार कर उसे प्रवर्तन हेतु उक्त अन्तर्विभागीय टास्क फोर्स को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा डी0जी0 सेट्स हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त डी0जी0 सेट्स की स्थापना / संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति / सहमति प्रदान की गयी है तथा इस हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से राज्य के सिंगल विन्डो सिस्टम "निवेश मित्र" पोर्टल पर भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

12. डी0जी0 सेट्स की उचित स्थल पर स्थापना सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत विकास प्राधिकरणों / औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन के मानचित्र में डी0जी0 सेट्स के लिए स्थल निर्धारित किया जायेगा तथा स्थल चिन्हांकन हेतु यथा–आवश्यक अपने बाई–लॉज में संशोधन किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रयोजन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डी.जी. सेट्स की विभिन्न क्षमताओं के आधार पर मानक यथा–भवन से दूरी, डी.जी. सेट्स का आकार, ऊँचाई, उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण का श्रेणीकरण, आदि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

13. उत्तर प्रदेश राज्य में डी0जी0 सेट्स के मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी प्रवर्तन कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–13 / 2019 / एनजीटी–260 / 55–पर्या–2–2019–44(रिट) / 2016, दिनांक 14 जून, 2019 के माध्यम से गठित त्रिस्तरीय मॉनीटरिंग मैकेनिज्म के माध्यम से किया जायेगा। टास्क फोर्स द्वारा कृत कार्यवाही का अनुश्रवण प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति एवं मण्डलायुक्त के स्तर पर मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक तथा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण समिति (AQMC) के माध्यम से पूर्व से निर्धारित व्यवस्थानुसार के अनुसार किया जायेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अनुश्रवण की कार्यवाही की रिपोर्ट समय– समय पर अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर की जाने वाली पर्यावरण सम्बन्धी बैठकों में समीक्षा हेतु

प्रस्तुत की जायेगी।

14. डी0जी0 सेट्स से संबंधित उत्सर्जन के मानक एवं रेटरो फिटिंग हेतु नियम/निर्देश आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की दृष्टि से वृहद जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः– यथोक्त।

(e-mail से प्रेषित)

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 22-09-2022 11:26:59
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन, लखनऊ।
2. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, उ0प्र0।
5. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।